न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2018

अपीलांट

नारायणदास पुत्र वजेदास जाति संत निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री हिम्मतमलजी जाति जैन निवासी माण्डकला तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री उतम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2017 बउनवान नारायणदास बनाम पुष्पादेवी में पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा माण्डवला जिसके वर्तमान खसरा नंबर 152 व 153 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 148, 149 व 151 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बिना मौके पर गये एवं बिना राजस्व रेकर्ड में दर्ज नक्शा का अवलोकन किये तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत अपीलांट की खातेदारी में आने जाने बाबत खसरा नंबर 154 सुविधाजनक बताया गया है जबकि अपीलांट की खातेदारी खसरा नंबर 153, 154 से लगते हुए खसरा नंबर 148, 149 व 151 खसरा ही आता है। खसरा नंबर 154 की माठ सरहद अपीलांट के खसरा से किसी भी दिशा की तरफ नहीं लगती है जो राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

रेकर्ड में वर्णित है। तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर वगैरा नहीं है।। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित खसरा नंबर 148 उसके पडोसी खातेदार खसरा नंबर 147 दोनो के मध्य एस.डी.ओ कोर्ट जालोर में एक दावा विचाराधीन होने का हवाला देते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पक्षकारो की उपस्थिति में लोक अदालत में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा माण्डवला जिसके वर्तमान खसरा नंबर 152 व 153 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 148, 149 व 151 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज किया जाकर तहसीलदार जालोर को रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 154 रकबा 0.60 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक बताया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने जिन खसरो से रास्ता चाहा है उक्त खसरा नंबर 148 रकबा 0.10 हैक्टेयर के संबध में पडौसी खातेदार खसरा संख्या 147 के संबध में वाद विचाराधीन होने का भी हवाला दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा माण्डवला जिसके वर्तमान खसरा नंबर 152 व 153 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 148, 149 व 151 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जालोर द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलांट की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 152 व 153 दोनो में आने जाने हेतु खसरा संख्या 154 रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खातेदार सौरभदेवी पत्नी बाबूलाल कौम कुम्हार सा उमेदाबाद में से 0.09 हैक्टयर 20 फुट रास्ता प्रस्तावित किया जाना तथा उसके सहखातेदारो के आने जाने हेतु उक्त रास्ता सुविधाजनक होना अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी में पहुंचने बाबत वैकल्पिक व सुविधाजनक रास्ता मौजूद है। इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट में "अपीलांट ने खसरा नंबर 148, 149 व 151 रकबा 0.10, 0.05 व 0.03 कुल 0.78 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम पुष्पादेवी पत्नी हिम्मतमल कौम जैन भण्डारी सा. देह के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरा 148 रकबा 0.10 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के संबध में पडौसी खातेदार खसरा नंबर 147 रकबा 1.21 हैक्टेयर जेठाराम घेवरचंद पुराराम पि. साकिया मु फूली बेवा सकिया वगैरह कोम कुम्हार ने उपखंड अधिकारी के कोर्ट में मुकदमा संख्या 00028/2017 जेठाराम बनाम पुष्पादेवी के मामले में एडवर्स पजेशन का वाद दायर किया होने का अंकन है।" अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2017 बउनवान नारायणदास बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

28/2018

नारायणदास बनाम पुष्पादेवी

पेज संख्या 4/4

पुष्पादेवी में पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर